कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं:हि.अ.8(7)/2017/हिंदी पखवाड़ा/ 2402 दिनांक: 25 AUG 2017

सेवा में,

1. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जोन)।
2. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा प्रभाग) मुख्यालय सहित ।
3. निदेशक (पी.डी.यू.एन.ए.एस.एस.)।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में ।

To organize Hindi Fortnight from 01th Sept to 15th Sept, 2017 in all Offices of EPFO

महोदय / महोदया,

जैसा कि विदित है 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी संगठन के सभी कार्यालयों में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार 14 सितम्बर, 2017 को हिंदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाए । हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-

- सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिंदी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।
- हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कार्यालयों में बैनर आदि लगाए जाएं ।
- सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिंदी में तैयार किए जाएं । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें । इससे हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा ।
- विभाग की वेबसाइट पर सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपलोड की जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी वेबसाइट अंग्रेजी वेबसाइट के साथ-साथ अद्यतित की जा रही है ।
- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- ई-मेल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- उच्च स्तरीय बैठकों की चर्चाओं में मौखिक तथा लिखित रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ।
- भारत जैसे बहुभाषी देश में ई-गवर्नेंस लागू करने में मानक एनकोडिंग एक आवश्यक आधार है । प्रत्येक कंप्यूटर पर हिंदी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि 'यूनिकोड' को प्रयोग के लिए सक्रिय (Activate) किया जाए।
- हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण हेतु मुख्य समारोह का आयोजन किया जाए । पुरस्कार वितरण समारोह में हिंदी के किसी प्रतिष्ठित विद्वान अथवा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है ।

- हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए ।
- सभी अनुभागों की फाइलों आदि में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं ।
- मुख्यालय के भी सभी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने कर्मचारियों को फाइलों में हिंदी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहित करें तथा स्वयं भी हिंदी में टिप्पणी लिखें, डिक्टेशन दें एवं हिंदी में हस्ताक्षर करें ।

आपसे अनुरोध है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। (प्रतियोगिताओं का ब्यौरा संलग्न है।) प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि/कार्यक्रम सभी कार्यालयों द्वारा अपनी-अपनी सुविधानुसार निर्धारित किए जा सकते हैं, तथापि मुख्य समारोह 14.09.2017 को ही अयोजित किया जाना चाहिए :-

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रोत्साहन पुरस्कार
1)	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
2)	विचार प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
3)	हिंदी निबंध प्रतियोगिता	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
4)	राजभाषा प्रतियोगिता - हिन्दी वर्तनी, राजभाषा अधिनियम - नियम, सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
5)	कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग - वर्ड, एक्सल एवं पॉवरपॉइंट	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
6)	कार्यालय द्वारा स्वविवेक से भी 02 (दो) अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है।	₹ 5,000/-	₹ 3,000/-	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-

इन प्रतियोगिताओं के साथ निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

1. केवल (1) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा (2) हिन्दी टिप्पण- आलेखन प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी और गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार रखे जाने हैं। जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, मलयालम, बांगला, उडिया, कन्नड़ या असमिया है, उन्हें गैर-हिन्दी भाषी प्रतियोगी माना जाएगा।

2. केवल कार्यालय के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
3. इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि यदि किसी एक कर्मचारी को एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त होता है, तो उसे केवल वे दो पुरस्कार ही दिए जाएं, जिसमें उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। दो पुरस्कारों के बाद श्रेष्ठता क्रम में नीचे आने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाएंगे ।

4. कोई भी प्रतियोगिता तभी आयोजित की जा सकेगी, जब उसमें कम से कम 5 प्रतिभागी भाग लें रहें हों। यदि 5 से कम प्रतिभागी होते हैं, तो प्रतियोगिता का आयोजन न किया जाए।

5. उक्त समस्त प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यालय के ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा बढ़ी हुई पुरस्कार राशि से लाभांवित हों, अत: अनुरोध है कि उक्त अवधि के दौरान एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें, जिससे समस्त प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी उत्साहपूर्वक भाग लें सकें ।

साथ ही, 'ग' क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाने वाली हिंदी निबंध लेखन (हिंदीतर भाषी) प्रतियोगिता को पहले की तरह सितम्बर माह में ही आयोजित किया जाए । इस प्रतियोगिता की अन्य शर्तें पूर्व में जारी स्कीम के अनुसार होंगी । इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार की राशि का भुगतान निम्नानुसार कल्याण निधि (वेलफेयर फण्ड) से संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

- प्रथम पुरस्कार (एक) - रू. 600/-
- द्वितीय पुरस्कार (एक) - रू. 400/-
- तृतीय पुरस्कार (एक) - रू. 200/-
- सान्त्वना पुरस्कार (तीन) - रू. 100/-

कृपया इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े का भव्य आयोजन किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय को 15 अक्टूबर, 2017 तक अवश्य भेज दी जाए ।

[केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीय,

(के.एल. गोयल)
अपर केन्द्रीय आयुक्त एवं प्रभारी (राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ वि. सलाहकार एवं मु.ले.अधि. के निजी सचिव।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारी गण ।
3. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, (पूर्वी उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी अंचल) तथा उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग।
4. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा दल ।
5. सभी उपनिदेशक /सहायक निदेशक (राजभाषा)
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(एम.पी.एस. राठौरिया)
उप निदेशक (राजभाषा)

नई दिल्ली- 110066

विषय: 01 सितम्बर, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन - प्रतियोगिताओं का ब्यौरा एवं दिशा-निर्देश ।

1) हिंदी टिप्पण /आलेखन प्रतियोगिता

(क) इस प्रतियोगिता में चुने हुए विषयों पर दो टिप्पण तथा दो आलेखन पूछे जायेंगे तथा प्रश्न- पत्र में तीन-तीन टिप्पण/आलेखन विकल्प के तौर पर दिए जायेंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णाकं 100 होंगे । प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे ।

2) हिंदी निबंध प्रतियोगिता

(क) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णाक 100 होंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को एक विषय दिया जाएगा जिसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले नोटिस बोर्ड पर दी जा सकती है।

3) विचार प्रतियोगिता

(क) इस प्रतियोगिता का समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 05 मिनट का रहेगा ।

(ख) इसके मूल्यांकन के लिए तीन निर्णायकों की समिति बनाई जाएगी तथा प्रत्येक निर्णायक को विषय-वस्तु, भाषा और प्रस्तुतिकरण के आधार पर अधिकतम 30 अंक देने का अधिकार होगा । इस प्रकार प्रतियोगिता 90 अंकों की निर्धारित रहेगी ।

(ग) यदि प्रभारी अधिकारी उचित समझें तो विषय के संबंध में प्रतिभागियों को एक दिन पहले नोटिस बोर्ड द्वारा सूचित किया जा सकता है।

(घ) प्रतिभागी पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं ।

4. राजभाषा प्रतियोगिता

(क) हिंदी वर्तनी, राजभाषा नियम तथा अधिनियम, हिन्दी की शैली एवं सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।

(ख) प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा।

(ग) 25 अंक हिन्दी वर्तनी, 25 अंक राजभाषा नियम-अधिनियम आदि तथा सरकारी कामकाज में हिंदी जिसमें हिंदी-अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद शामिल है जिसके 50 अंक होंगे। इस प्रकार प्रतियोगिता के कुल पूर्णांक 100 होंगे।

5. कंप्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग

(क) वर्ड, एक्सल और पावर प्वाइंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों में यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में प्रस्तुति करनी होगी।

(ख) वर्ड में प्रतिभागी की स्पीड, शुद्धता तथा कंप्यूटर के अन्य मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) पावर प्वाइंट की प्रस्तुति में कम से कम पांच स्लाईड बनानी होंगी जिनका स्पीड, प्रस्तुति तथा विषय एवं भाषा की शुद्धता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) इसी प्रकार एक्सल शीट का भी मूल्यांकन किया जाएगा। एक्सल शीट के लिए हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का नमूना लिया जा सकता है।

(ङ) वर्ड, एक्सल और पावर प्वाइंट के समान अंक होंगे अर्थात् कुल पूर्णांक 75 रहेंगे।